मु. सं. 58/2023 T.I.

दिनांक 11.9.24
आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23.9.24 को पेश हो।

रीडर

दिनांक 23.9.24
आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08.10.24 को पेश हो।

रीडर

08.10.24 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस जवाब प्रार्थी दिनांक 18.10.24 को पेश हो।

दिनांक: **18.10.2024**

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 872 रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.57 हैक्टर में 1/4 भाग प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थी 1लगायत 3 व 5 का हिस्सा है जिसका बाहमी बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 1.07. 2023 को अपनी आराजी पर प्रार्थी फसल बोने गया तो अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने उक्त आराजी पर बजरी पत्थर डाल रखें थे। अप्रार्थी से पूछा तो प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि अब इस भूमि पर खेती नहीं करुँगा और निर्माण कर बेच दूँगा। प्रार्थी ने कानूनी बंटवारा कराने की

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

कहा तो अप्रार्थी मानने को तैयार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक ऐलानिया धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपने हक हकूकों से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पायेगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान न्यायालय में पेंश करना लाजमी आया है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 5 जिसका प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करने पर पक्षकार बनाया गया इन्होंने जबाव पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ऐतराज़ कर खारिज करने का निवेदन किया एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की ओर से जबाव पेश नहीं कर सीधी बहस की।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी सं.2074–77 का अवलोकन करने पाया कि उक्त वर्णित में प्रार्थी अतरसिंह पुत्र किरोडी लाल जाति कोली निवासी सूरोठ जिला करौली खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी 1/4 भाग का खातेदार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर सकते है जिससे प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज छतरसिंह बनाम राधेश्याम मु. सं. 58/2023 प्रा०धा T.I.
	की आराजी खसरा नम्बर 872 रकबा 0.57 हैक्टर में प्रार्थी के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा